

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक - शिविरा/मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/एसीपी/आक्षेप/2019-20

दिनांक: 08-06-2020

जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)

माध्यमिक शिक्षा,

रजिस्टर्ड

विषय- प्राध्यापक हिन्दी(स्कूल शिक्षा) एसीपी के आक्षेप के संबध में

उपरोक्त विषय में लेख है कि प्राध्यापक हिन्दी (स्कूल शिक्षा) के एसीपी प्रकरण कार्यालय हाजा के लेखाधिकारी के द्वारा लगाये गये आक्षेप की सूची संलग्न मय विवरण संबधित कार्यालय को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है संबधित आक्षेप की पूर्ति कर भिजवाने की व्यवस्था करे ।

क्र.सं.	संबधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा	नाम कार्मिक मय पदस्थापन स्थान (राजमावि)	जिला	जन्म दिनांक	आक्षेप का विवरण
1	2	3	5	4	6
1	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, चित्तौडगढ	मोहन लाल मेघवाल, खेरदेवला, बडी सादडी- चित्तौडगढ	CHITTAURG	03/01/1964	विकास अधिकारी प.सं. बडी सादडी के आदेश दिनांक 16.11.88 के अनुसार नियमित नियुक्ति के अनुसार एसीपी प्रस्तावित करे । मूल प्रकरण संलग्न है ।
2	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, अजमेर	कैलाश चन्द्र बलाई, आलोली केकडी - अजमेर	AJMER	01/02/1963	सीबीईओ कार्यालय द्वारा एसीपी प्रकरण पूर्ण कर भिजवाये । मूल प्रकरण संलग्न है ।
3	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, जयपुर	अनिल कुमार रेगर, माधोगढ - वस्ती - जयपुर	JAIPUR	05/01/1973	कर्मचारी की प्रथम नियुक्ति अध्यापक के पद पर हुई है उक्त कर्मचारी को वर्ष 2010-11 एवं 2016-17 में कमश- व.अ. व व्याख्याता के पद पर पदोन्नति होने के कारण 20वर्ष की सेवा द्वितीय एसीपी देय नहीं है । मूल सेवा पुस्तिका मय प्रकरण संलग्न है ।
4	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, जयपुर	सुनीता कथूरिया, मोहनपुरा - सांगानेर - जयपुर	JAIPUR	04/07/1965	एसीपी प्रस्ताव सीबीईओ कार्यालय से पूर्ण करवाकर प्रस्तुत करे। मूल प्रकरण संलग्न है ।
5	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, बूंदी	मंवरलाल मीना, हिण्डोली - बूंदी	BUNDI	10/05/1964	जिला स्थापना समिति द्वारा अनुमोदित स्क्रीनिंग आदेश दिनांक से एसीपी सीबीईओ कार्यालय से प्रस्तावित करावे । साथ ही अध्यापक के पद पर स्थाईकरण आदेश की प्रति प्रस्तुत करे । मूल प्रकरण संलग्न है ।
6	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, बाडमेर	कुम्भाराम मेघवाल, खनौडा पाटोदी - बाडमेर	BARMER	14/09/1965	पंचायत समिति बालोतरा के स्थाईकरण आदेश, जिला स्थापना समिति बाडमेर के चयन आदेश की दिनांक से एसीपी सीबीईओ कार्यालय से प्रस्तावित करावे । मूल प्रकरण संलग्न है ।
7	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, बूंदी	हेमराज खरेडिया, आकोदा - बूंदी	BUNDI	05/06/1964	विशिष्ट शासन सचिव शिक्षा ग्रुप-5 विभाग जयपुर के पत्र दिनांक 06.02.99 के अनुसार कर्मचारी की स्क्रीनिंग के बाद आदेश जारी होने की तिथि से ही नियमित नियुक्ति अनुसार एसीपी सीबीईओ कार्यालय से प्रस्तावित करावे । मूल प्रकरण संलग्न है ।
8	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, भरतपुर	सरोज वर्मा, या0 नगर - भरतपुर	BHARATPU	01/07/1961	कर्मचारी को द्वितीय एसीपी किस आधार पर स्वीकृत नहीं किया गया है । स्पष्ट करावे । साथ ही एसीपी प्रकरण सीबीईओ से पूर्ण प्रस्तावित करावे । मूल प्रकरण संलग्न है ।

(Handwritten Signature)

क्र.सं.	संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा	नाम कार्मिक मय पदस्थापन स्थान (राजभाषि)	जिला	जन्म दिनांक	आक्षेप का विवरण
1	2	3	5	4	6
9	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, भीलवाडा	राधेश्याम खटीक, चतरपुरा आसिन्द - भीलवाडा	BHILWARA	20/07/1964	पंचायत समिति माण्डल के आदेश दिनांक 03.01.89 से 02वर्ष की परिदिक्षाधीन अवधि के लिए नियुक्ति प्रदान की गई थी साथ ही सीबीईओ से एसीपी प्रस्तावित करावे । मूल सेवा पुस्तिका मय प्रकरण संलग्न है ।
10	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, भीलवाडा	लालचन्द, यामनवास - वानसूर - अलवर	ALWAR	16/12/1961	एसीपी सीबीईओ कार्यालय से प्रस्तावित करा कर प्रस्तुत करे । मूल प्रकरण संलग्न है ।
11	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, दौसा	राधेश्याम गुप्ता, टोडा टेकला, लालसोट - दौसा	DOUSA	18/08/1967	व.अ. के पद पर नियमित नियुक्ति दिनांक से सीबीईओ कार्यालय से एसीपी प्रस्तावित करावे । मूल सेवा पुस्तिका मय प्रकरण
12	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, अलवर	धर्मवीर यादव, गण्डाला - अलवर	ALWAR	16/04/1963	कार्मिक की नियमित नियुक्ति तिथि 01.07.1991 है तथा 30वर्षीय सेवा 01.07.2021 से देय होगा मूल प्रकरण संलग्न है ।
13	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, शिरोही	पन्नालाल पुरोहित, सियावा-आबूरोड शिरोही	SIRIOHI	03/09/1961	नियमित नियुक्ति दिनांक से 30वर्ष की सेवा अवधि दिनांक 19.11.19 किस आधार पर प्रस्तावित की गई है स्पष्ट करावे । मूल प्रकरण संलग्न है ।
14	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, अलवर	पुष्पलता, कारोडा - बहरोड- अलवर	ALWAR	28/12/1968	व.अ. पद पर नियुक्ति आदेश की प्रति, व.अ. के पद पर स्थाईकरण आदेश की प्रति, व्याख्याता पद पर पदोन्नति आदेश की प्रति, एवं सीबीईओ कार्यालय स्तर पर लेखाधिकारी स्तर पर जाँच करवाकर प्रस्तुत करे । मूल प्रकरण संलग्न है ।
15	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, भीलवाडा	प्रहलादराव सांगावत, वडलियावास - कोटडी - भीलवाडा	BHILWARA	05/04/1964	जिला परिषद द्वारा जारी स्क्रीनिंग आदेश की प्रति प्रस्तुत करे ।
16	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, अजमेर	पप्पू लाल रेगर, जूनिया - अजमेर	AJMER	01/08/1972	व.अ. के पद पर डीडी कार्यालय द्वारा जारी पदस्थापन आदेश एवं स्थाईकरण आदेश की प्रति प्रस्तुत करे ।
17	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, जयपुर	छितरमल मीणा, राडोली - चाकसू - जयपुर	JAIPUR	01/05/1964	अध्यापक के पद का स्थाईकरण आदेश की प्रति प्रस्तुत करे ।
18	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, जयपुर	रेणू यादव, खोरा मीणा, आमर - जयपुर	JAIPUR	01/07/1974	व.अ. के पद पर डीडी कार्यालय द्वारा जारी पदस्थापन आदेश एवं स्थाईकरण आदेश की प्रति प्रस्तुत करे ।
19	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, चित्तौडगढ़	अनिक्षित कुमार श्रीवास्तव, चन्देरिया - चित्तौडगढ़	CHITTAURG	18/07/1962	अध्यापक के पद का जिला स्थापना समिति के अनुमोदन चयन आदेश की प्रति प्रस्तुत करे ।
20	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, जयपुर	अखिलेश चौधरी, ठीकरिया गुजरान कोट खावदा - जयपुर	JAIPUR	01/08/1967	व.अ. के पद पर डीडी कार्यालय द्वारा जारी पदस्थापन आदेश एवं स्थाईकरण आदेश की प्रति प्रस्तुत करे ।
21	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, जयपुर	सुन्दरलाल रेगर, राजनौता - पावटा - जयपुर	JAIPUR	11/02/1963	आदेश दिनांक 09.01.89 के अनुसार जिला परिषद जयपुर के द्वारा चयनित आदेश की स्पष्ट प्रति प्रस्तुत करे ।

र

क्र.सं.	संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा	नाम कार्मिक मय पदस्थापन स्थान (राजमावि)	जिला	जन्म दिनांक	आक्षेप का विवरण
1	2	3	5	4	6
22	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, बूंदी	कृष्ण मुरारी सांजी, नेनवा - बूंदी	BUNDI	01/10/1968	अध्यापक पद पर नियुक्ति आदेश, जिला स्थापना समिति द्वारा चयन आदेश, अध्यापक पद पर स्थाईकरण आदेश एवं व.अ. व व्याख्याता पद पर पदोन्नत आदेश की प्रति प्रस्तुत करें ।
23	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, भीलवाड़ा	महावीर प्रसाद सेन, उपरंडा - बनेडा - भीलवाड़ा	BHILWARA	04/06/1966	प.स. के आदेश दिनांक 22.12.1988 के द्वारा कर्मचारी की नियमित नियुक्ति 2वर्ष की परिविक्षाधीन के लिए की गई थी, इस आदेश के कम कर्मचारी द्वारा कार्यग्रहण एवं स्थाईकरण आदेश की प्रति प्रस्तुत करें ।
24	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, अलवर	वनवारी लाल नारनोलिया, नयावास बानसूर अलवर	ALWAR	20/12/1962	अध्यापक पद पर स्थाईकरण आदेश की प्रति प्रस्तुत करें ।
25	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, अलवर	उषा देवी, बा0 गण्डाला - बहरोड - अलवर	ALWAR	13/07/1971	व.अ. के पद पर नियुक्ति एवं स्थाईकरण आदेश की प्रति प्रस्तुत करें ।
26	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, अलवर	राधेश्याम शर्मा, बिजवा - रामगढ़ अलवर	ALWAR	01/08/1967	अध्यापक के पद पर जिला परिषद जिला स्थापना समिति/स्कीनिंग के आदेश की प्रति प्रस्तुत करें ।
27	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, नागौर	मंजू सारस्वत, मकोंडी - नागौर	NAGOUR	20/11/1962	अध्यापक के पद पर जिला परिषद जिला स्थापना समिति द्वारा चयन अनुमोदन आदेश की प्रति प्रस्तुत करें । अध्यापक के पद पर स्थाईकरण आदेश की प्रति संलग्न करें ।
28	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, जयपुर	भागीरथ बुनकर, धिनोई - जयपुर	JAIPUR	03/05/1961	व0अ0 पद का स्थाईकरण आदेश की प्रति प्रस्तुत करें ।
29	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, अलवर	ओम प्रकाश गर्ग, भिण्डूसी- तिजारा- अलवर	ALWAR	01/03/1964	अध्यापक के पद पर स्थाईकरण आदेश की प्रति, व. अ. के पद पर पदान्ति आदेश की प्रति प्रस्तुत करें ।
30	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, अजमेर	दिनेश नारायण उपाध्याय, वाडी - मसूदा - अजमेर	AJMER	23/07/1963	कर्मचारी द्वारा पदोन्नति परित्याग का अंकन किया गया है इस संबंध में स्पष्ट करावे की कोनसी पदोन्नति परित्याग की गई है उक्त आदेश की प्रति प्रस्तुत करें



सहायक निदेशक(सी-4)

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

01- संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा

02- संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी स्कूल शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि संबंधित प्राध्यापक के आक्षेप की पूर्ति कर प्रकरण पुनः भिजवाने की व्यवस्था करें ।

03- सिस्टम एनालिस्ट(संयुक्त निदेशक), कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु

04- संबंधित संस्था प्रधान/संबंधित कार्मिक

05- निजी एवं रक्षित पत्रावली



सहायक निदेशक(सी-4)

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर